

दीपचन्द्र जेठवादीलाल
 न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
 अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
12-7-17	<p>पन्नापली पेडा हुई। कठिनी रिपोर्ट को ऊपर लोकल सिमा गण/कपील दर्ज रजिस्टर की जाय। कपील के कठिनी पर उपरल पक्ष हुक्म है। अतः कठिनापक्ष के रिपोर्ट को विहित नो शिड जारी किए जाकर पन्नापली सिमा 17-7-17 को पेश हुई।</p>	
17/7	<p>पन्नापली पेडा हुई। अग्निभाषण अपीलान एवं वैकियार अग्निभाषण उपस्थित आये। वैकियार अग्निभाषण को अपील को नवल दिलाई गई। पन्नापली वास्तु बहस स्वगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.07.17 को पेश हो।</p>	<p>Copy keep 19/7</p>
19/7	<p>पन्नापली पेडा हुई। अग्निभाषण उभयपक्ष उपस्थित। स्टे प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्ष के अग्निभाषणों की बहस सुनी गई। अग्निभाषणों के अनुसार चूंकि अग्निनस्थ न्यायालय में हमारे द्वारा अबाध दावा प्रस्तुत कर दिया गया। अतः दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया जाया जाएगा। स्वपक्षीय स्वगत का कोई औचित्य नहीं है। अतः पन्नापली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि दोनों पक्षों को सुनकर एक माह में निर्णय करें। तब तक के लिए अग्निनस्थ न्यायालय के निर्णय का प्रचलन स्वगत रखा जावे। पन्नापली पेंसल शुमार होकर नंबर से नम की जाकर बाद तमगील जाहता वारिकल पफल की जावे।</p>	<p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>